POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 03 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

हर साल 15 मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। गांवों में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो। वे जागरूक बनें। अपनी और गांव की भलाई के लिए उनमें सवाल खड़े करने की हिम्मत जागे। इसी मकसद को लेकर 15 मार्च, 1983 से 'ग्राम गदर' छापना शुरू किया गया था।

राजस्थान में यह उपभोक्ता आन्दोलन का पहला ऐसा ग्रामीण भित्ती पत्र है, जो जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। मुझे खुशी है, गांव वालों की नजर में आज भी इस भित्ती-पत्र की उस समय से ज्यादा अहमियत है। गांव के लोग सरकारी विकास योजनाओं को समझने लगे हैं। उनसे फायदा भी उठा रहे हैं और गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वे योजनाओं की कमियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। इस भित्ती-पत्र के माध्यम से ग्रामीणों में अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से कार्रवाई करने की क्षमता भी बढ़ी है।

गांव वालों की नजर में यह आज भी उनके अधिकारों की जानकारी कराने और उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकारी विभागों, उपभोक्ता संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण बन्धुओं से प्राप्त पत्र इस तथ्य को उजागर करते हैं। वे इसमें छपी सामग्री को आम लोगों के लिए उपयोगी मानते हैं। मैं संस्था की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

राज्य में लोकायुक्त को ताकतवर बनाने की तैयारी

ऐसे होगी शिकायत

लोक सेवक के पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार व काम न करने के बारे में लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है। इसके लिए शिकायत कर्ता को शिकायत के साथ सिर्फ शपथ-पत्र देने की जरूरत होती है।

लोकपाल कानून के लागू होने के साथ ही प्रदेश में भी लोकायुक्त को ताकतवर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लोकायुक्त कार्यालय ने 41 साल पुराने कानून को बदलने के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसे अब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भिजवाया गया है।

कार्मिक विभाग इस पर विचार कर रहा है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों सहित कानून के तहत बनी कंपनियां, निगम, समितियां और ट्रस्ट भी लोकायुक्त के दायरे में आ जाएंगे।

लोकायुक्त की सिफारिश नहीं मानने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी नए कानूनों में किया गया है। इसी तरह लोकायुक्त के निर्देश पर छापा मारने, भ्रष्टाचार से जमा की गई सम्पत्ति को अस्थाई तौर पर जप्त करने, प्रारंभिक जांच पूरी करने को अधिकतम 90 दिन की मियाद तय करने जैसे अधिकार लोकायुक्त को दिए जाने की मांग की गई है।

लोकपाल कानून का हवाला देकर लोकायुक्त कानून में बदलाव के इन सुझावों को जल्द ही उच्च स्तर पर विचारार्थ भिजवाया जाएगा।

महंगी पड़ी पिता के खाते से बेटे के लोन की वसूली

बेटे के लोन की वसूली के लिए वरिष्ठ नागरिक के पेंशन खाते से रुपए काटना स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की मानसरोवर शाखा को महंगा पड़ा। अब बैंक की मानसरोवर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक को 28 हजार रुपए का हर्जाना देना होगा।

मामले के अनुसार शिप्रापथ निवासी देवकुमार सांघी का पेंशन खाता इस बैंक में खुला हुआ है। उनके बेटे अनुज सांघी ने इसी बैंक से लोन लिया था, जिसमें गारंटर देवकुमार बने थे। बैंक ने लोन अदायगी में देरी होने पर उनके पेंशन खाते से 37 हजार 500 रुपए काट लिए। बैंक से कारण पूछा तो बताया गया कि यह रुपए लोन अदायगी समायोजन के लिए काटे गए हैं। इस पर उन्होंने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत की। लोकपाल के आदेश पर बैंक को काटी गई यह रकम वापस उनके खाते में जमा करनी पड़ी।

देवकुमार ने एसबीबीजे बैंक के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है। बैंक द्वारा उनके खाते से ऐसे समय पर गैरवाजिब तरीके से रुपए काटे गए, जब वह काफी बीमार थे। इससे उन्हें काफी मानसिक परेशानी हुई थी। मंच ने मामले की सुनवाई पर बैंक को सेवा का दोषी माना और 9 फीसदी की दर से ब्याज देने व 28 हजार रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए।

'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 32 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2013 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैं:

'बढ़ती महंगाई से परेशान आमजन'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। • टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2013 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2014 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, 5133259, फैक्स: 0141-2282485

तय की ग्रामीण विकास की प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पंचायत राज विभाग की बैठक में गांवों के विकास के लिए पांच प्राथमिकताएं तय की है। इन प्राथमिकताओं में स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण, जल निकासी के साथ सड़क, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ऊर्जा एवं आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि को शामिल किया गया है।

बैठक में विभाग की 60 दिन की कार्ययोजना और आगामी पांच साल के लिए तय किए जाने वाले लक्ष्यों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने मिड-डे मील की गुणवत्ता व वितरण व्यवस्था में सुधार लाने पर खास ध्यान देने की आवश्यकता जताई।

उम्र 60 साल तो मिलेगा मुफ्त इलाज

सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सरकारी इलाज व जांचों की सुविधा अब 60 साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मिल सकेगी। पहले 65 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ही यह सुविधा मिलती थी। सरकार की ओर से संचालित अस्पतालों में उन्हें मुफ्त दवा व जांच की सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

सरकार के इस निर्णय से उन लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी जिनको उम्र की वजह से इलाज कराने में दिक्कत आती थी।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

1.	प्रकाशन का स्थान	-	जयपुर
2.	प्रकाशन अवधि	-	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	-	भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
4.	प्रकाशक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5.	सम्पादक का नाम	-	प्रदीप सिंह महता
	नागरिकता	-	भारतीय
	क्या विदेशी है	-	नहीं
	पता	-	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	-	एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

बन्द नहीं होंगी कोई भी योजनाएं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफ किया है कि पिछली सरकार की योजनाओं को बन्द करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी सरकार इन योजनाओं की निरंतर समीक्षा कर इनमें आवश्यक सुधार करेगी, ताकि योजनाओं का जनता को भरपूर लाभ मिल सके।

मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए हमने कभी नहीं कहा कि उनकी योजनाओं को बन्द किया जाएगा। हमने योजनाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पेंशन का हो नियमित भुगतान

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्वीकृत पेंशन धारियों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।

पेंशन भुगतान के लिए सभी जिलों में जरूरत के मुताबिक बजट भी आवंटित किया जा चुका है। जिला कलेक्टरों को डाक विभाग के स्तर पर हो रही देरी से निपटने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करने को कहा गया है।

नहीं मिला फसल बीमा का फायदा

किसानों के लिए 2006 में शुरू हुई मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रदेश के किसानों को सही फायदा नहीं मिल पाया है। अभी खरीफ-2013 की फसल का मुआवजा बांटा जा रहा है।

बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील में मेतवाला वैदर स्टेशन से जुड़े किसानों को उड़द की फसल में खराबी पर औसत रूप में मात्र 42 पैसे का मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि किसानों की हजारों रुपए की फसल नष्ट हुई है।

किसानों का सामूहिक बीमा होने से यहां 2101 किसानों के लिए 878 रुपए का मुआवजा आया है। करीब-करीब यही हाल राज्य के अन्य जिलों में है। किसानों के साथ यह क्रूर मजाक है। राज्य के कृषि मंत्री प्रभु लाल सैनी ने कहा है कि वे इस योजना में सुधार के लिए केन्द्र सरकार से बात करेंगे।

बदलता समीकरण

लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्सर यह सामने आया है कि राजनीतिक दल चुनाव में धर्म और जाति के आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उन्हें उम्मीदवार की काबलियत से कोई मतलब नहीं होता। उस क्षेत्र की जनता भी इसी आधार पर उन्हें चुन लेती है। यह उनके स्वयं के व देश के लिए अच्छा नहीं होता।

लेकिन अब युवा मतदाताओं में एक बड़ा बदलाव देखा गया। विधान सभा चुनावों में उसने जातीय और धार्मिक आधार के इस समीकरण को उलट दिया है। जातीय आधार पर आरक्षण का मुद्दा अब राजनीति के केन्द्र में है और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बहस छिड़ने लगी है। - मनीष आचार्य, जोधपुर

पंचायत समितियों तक पहुंची सरकार

राज्य सरकार ने 10 दिनों तक भरतपुर संभाग में अपना आसन जमाया। मंत्रियों ने संभाग के चारों जिलों भरतपुर, धौलपुर, करोली व सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों का सघन दौरा किया। वे शहरों, कस्बों और गांवों की वास्तविक स्थिति से रूबरू हुए। उनके सामने बिजली चोरी, अप्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, चिकित्सा उपकरणों की कमी, स्कूलों की दुर्दशा व खराब पोषाहार जैसी समस्याएं सामने आई।

गांव-गांव में जनसुनवाई की गई। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं गड़बड़ियां सामने आई वहां जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। लोगों की शिकायतों का समाधान भी किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वयं मौजूद रह कर सभी स्थितियों का अवलोकन किया और समस्याओं के निराकरण व क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रियों व अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जगा है।

महिलाएं बनेंगी कारीगर

महिलाएं भी सरकारी योजनाओं में निर्माण का काम करेगी। बूंदी में निर्मल भारत अभियान योजना के तहत महिलाओं से शौचालय बनवाए जाएंगे। यह कार्यक्रम मनरेगा योजना के तहत चलेगा।

पहले चरण में हर ब्लॉक से 50 महिलाओं का चयन किया गया है। महिलाओं को मिस्त्री के काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुशल महिला कारीगर को 350 व अकुशल मजदूर को 133 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। बूंदी कलेक्टर आनंदी के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल की गई है।

हमारा मोबाइलः हमारे अधिकार

वर्तमान में पूरे विश्व में करीब 68 करोड़ उपभोक्ता मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के लिए अब जरूरी हो गया है कि वे स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। साथ ही उपभोक्ता संस्थाएं भी उनके अधिकारों एवं सुरक्षा पर चर्चा करें।

मद्देनजर, उपभोक्ता संस्थाएं 15 मार्च, 2014 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 'अपने मोबाइल फोन के अधिकारों को सुनिश्चित करें' विषय पर गोष्ठियां, रैली, कार्यशाला जैसे तरह-तरह के आयोजन कर उपभोक्ताओं को जागरूक करें। कृपया आप द्वारा आयोजित कार्यक्रम की रिपोर्ट हमें भी भिजवाएं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर